अनुदान संख्या 65 - विधि और न्याय
GRANT No. 65 - LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2230,65,00	6127,43,00	6050,30,38	- 77,12,62
पूरक	Supplementary	3896,78,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,93,03
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1944,78,00	2562,86,00	2443,09,73	-119,76,27
पूरक	Supplementary	618,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				119,37,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुई/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	18100.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-2217.62	15883.38	15170.44	-712.94

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	33061.00			
पू.	S.	95448.00			
पु.	R.	7761.02	136270.02	132052.15	-4217.87
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
चुनाव	Elections				
मू.	O.	31700.00			
पू.	S.	285977.00			
पु.	R.	-456.24	317220.76	316977.53	-243.23
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय और व्यय पर करों का संग्रह	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	12260.00			
पू.	S.	1.00	12973.89	12887.22	-86.67
पु.	R.	712.89			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	11100.00			
पू.	S.	8250.00	11.23	..	-11.23
पु.	R.	-19338.77			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	108800.00			
			124707.53	124707.53	..
पु.	R.	15907.53			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाली केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अनुदान सहायता	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	6000.00		1200.00	1200.00	..
पु.	R.	-4800.00				

(I) ₹19558.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹8250.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹19350.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "न्याय का प्रशासन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹19573.00 lakhs (including supplementary grant of ₹8250.00 lakhs obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹19350.00 lakhs accounted for under the Major Heads "2552" - "Administration of Justice" - under the following heads :-

(का) "ई–कोर्ट परियोजना चरण–III" – ₹8250.00 लाख का पूरक प्रावधान; और

(A) "E-Courts Projects Phase-III" - supplementary provision of ₹8250.00 lakhs; and

(खा) "न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं हेतु अनुदान" – ₹11100.00 लाख।

(B) "Grants for Infrastructural facilities for Judiciary" - ₹11100.00 lakhs.

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधि/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग करने तथा शेष राशि को अभ्यर्पित करने के कारण उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

Provision under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part fund/funds to the functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत – "अन्य व्यय – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय" – ₹2500.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2023 में ₹3620.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹6120.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ईवीएम परीक्षण और नष्टीकरण के लिए एजेंसियों से कम बिल प्राप्त होने के कारण ₹3907.99 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(II) Under Major Head "2015" - "Other Expenditure - Expenditure on Electronic Voting Machines" - the original provision of ₹2500.00 lakhs was augmented to ₹6120.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3620.00 lakhs in December, 2023. However, there was a saving of ₹3907.99 lakhs (including supplementary grant) due to receipt of less bills from agencies for EVMs testing and destruction.

(III) मुख्य शीर्ष "2014" के अंतर्गत – "अन्य व्यय – न्याय प्रदान करने और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन" – ₹4000.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2023 में ₹800.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4800.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि, एजेंसियों को किराए पर न लिए जाने की वजह से चालू स्कीम/कार्यक्रम के मध्यकालीन मूल्यांकन पूरा न होने के कारण ₹164.37 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2014" - "Other Expenditure - National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms" - the original provision of ₹4000.00 lakhs was augmented to ₹4800.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹800.00 lakhs in December, 2023 which, however, remained unutilized to the extent of ₹164.37 lakhs - due to non-completion of mid-term evaluation of ongoing scheme/program owing to non-hiring of agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत – "सचिवालय" –

(IV) Under Major Head "2052" - "Secretariat" -

(का) "राजभाषा प्रकोष्ठ" – ₹541.37 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.06 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1888.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(A) "Official Languages Wing" - saving of ₹541.37 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1888.06 lakhs including supplementary grant of ₹0.06 lakh obtained in December, 2023);

(खा) "विधिक मामले विभाग" – ₹545.83 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.24 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7510.24 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Department of Legal Affairs" - saving of ₹545.83 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7510.24 lakhs including supplementary grant of ₹0.24 lakh obtained in December, 2023); and

(गा) "विधान विभाग" – ₹814.52 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹0.30 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3868.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Legislative Department" - saving of ₹814.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3868.30 lakhs including supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in December, 2023).

उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत बचत, रिक्त पदों को न भरने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage by Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" के अंतर्गत – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं" – ₹4800.00 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा कम मांगों के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructure facilities for Judiciary" - saving of ₹4800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to less demands raised by UT Governments.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1176.70 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00

(VI) Under three heads savings of ₹1176.70 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not

लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचत का आंशिक उपयोग (₹7081.66 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया, जैसा कि संसद को पहले ही सूचित किया जा चुका है, जबकि दिसम्बर, 2023 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹95448.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2014" – "ई–न्यायालय – ई–न्यायालय चरण–III" – ₹6368.77 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2575.31 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2020" – "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण" – ₹712.89 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹626.22 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2014" – "विधिक सलाहकार और वकील – विधि कार्य विभाग" – ₹1260.73 लाख का अधिक व्यय (₹6010.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधि सलाहकारों तथा सरकारी वकीलों के परामर्श शुल्क के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2015" –

(क) "निर्वाचन अधिकारी – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति" – ₹1052.81 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹50513.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹54513.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति" –

exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 28 percent to 41 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹7081.66 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already report to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹95448.00 lakhs in December, 2023 under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" - "E-Courts - E-Courts Phase-III" - ₹6368.77 lakhs. Actual excess, however, was ₹2575.31 lakhs.

(B) Major Head "2020" - "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal" - ₹712.89 lakhs. Actual excess, however, was ₹626.22 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" - "Legal Advisers and Counsels - Department of Legal Affairs" - excess of ₹1260.73 lakhs (against the sanction provision of ₹6010.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards counsel fees to legal advisers and government counsels.

(B) Major Head "2015" -

(a) "Electoral Officers - Reimbursements to State/Union Territory Governments" - excess of ₹1052.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹54513.00 lakhs including supplementary grant of ₹50513.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024);

(b) "Preparation and Printing of Electoral Rolls - Reimbursement to State/Union Territory

₹848.90 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹89782.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹93782.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "लोकसभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए चुनाव संचालन हेतु प्रभार – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति" – ₹1208.09 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹135886.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹153886.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; तथा

(घ) "मतदाताओं को फोटो/पहचान पत्र जारी करना – राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति" – ₹557.11 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 ₹6166.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7966.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मिजोरम और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में चुनाव व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं" – ₹15907.53 लाख का अधिक व्यय (₹88800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य शीर्ष "2552" से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोग और राज्यों को जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत ₹11976.27 लाख, जो दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹61808.00 लाख के पूरक अनुदान का 19 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 5

Governments" - excess of ₹848.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹93782.00 lakhs including supplementary grant of ₹89782.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024);

(c) "Charges for conduct of Election for Lok Sabha and State/Union Territory Legislature Assemblies when held simultaneously - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - excess of ₹1208.09 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹153886.00 lakhs including supplementary grant of ₹135886.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024); and

(d) "Issue of Photo Identity-Cards to Voters - Reimbursement to State Governments" - excess of ₹557.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7966.00 lakhs including supplementary grant of ₹6166.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024).

Excess under the above four heads was due to requirement of additional funds towards election expenses in the sates of Mizoram and Jammu & Kashmir.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructure facilities for Judiciary" - excess of ₹15907.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹88800.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds for release to states.

3. In the capital section of the grant, the overall savings ₹11976.27 lakhs constituted 19 percent of the supplementary grant of ₹61808.00 lakhs obtained in

प्रतिशत है।

December, 2023 and 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4070”	Major head “4070”				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	193678.00			
पू.	S.	61807.00	243438.19	243433.38	-4.81
पु.	R.	-12046.81			

(I) “निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और भवनों के निर्माण” के अंतर्गत – ₹7000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹11300.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि, निष्पादन एजेंसियों अर्थात एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मांग प्रस्तुत न करने के कारण ₹2789.59 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(I) Under “Direction and Administration - Acquisition of Land and Construction of Buildings for Income Tax Appellate Tribunal” - the original provision of ₹7000.00 lakhs was augmented to ₹11300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2789.59 lakhs - due to non-submission of demand by executing agencies i.e. NBCC and CPWD.

(II) “चुनाव – चुनाव आयोग के लिए ईवीएम” के अंतर्गत ₹186678.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹57507.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹244185.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो कि ईवीएम और वीवीपीएटी के निर्माताओं द्वारा बिल जमा न करने के कारण ₹9262.03 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(II) Under “Election - EVMs for Election Commission” - the original provision of ₹186678.00 lakhs was augmented to ₹244185.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹57507.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹9262.03 lakhs - due to non-submission of bills by manufacturers of EVMs and VVPATs.